

संयुक्त निदेशक
समस्त जोन राजस्थान।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला, राजस्थान।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जिला राजस्थान।

विषय:- माह 'जुलाई 2019' को डेंगू रोकथाम माह (Anti Dengue Month) मनाते हुये माह जुलाई अगस्त सितम्बर व अक्टूबर में वैक्टर जनित बिमारियों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु निम्नलिखित गतिविधियां संपादित करने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2019/1711 दिनांक 18.03.2019 व एनवीबीडीसीपी/2019/299 दिनांक 03.05.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में माह जुलाई, 2019 को डेंगू रोकथाम माह (एन्टी डेंगू माह) के रूप में मनाते हुये माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, 2019 में वैक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निम्नलिखित गतिविधियां संपादित करवाना सुनिश्चित करें:-

- चिकित्सा संस्थानों पर डेंगू चिकनगुनिया, मलेरिया रोग से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिये आईडीसी कॉर्नर की स्थापना
- चिकित्सा संस्थानों पर स्थापित टीवी/एलईडी पर फिल्म के माध्यम से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया रोग से बचाव की जानकारी का प्रसारण
- हाई रिस्क क्षेत्रों में एन्टोमोलोजिकल सर्वे करवाते हुये एन्टीलार्वल गतिविधियां
- चिकित्सकों को डेंगू रोग के उपचार से सम्बन्धित गाईडलाइन द्वारा आमुखीकरण
- चिकित्सा संस्थानों पर ओपीडी में प्रतिदिन लार्वा का प्रदर्शन
- चिकित्सा संस्थानों पर आने वाले रोगियों व उनके परिजनो को डेंगू रोग के सम्बन्ध में प्रतिदिन प्रश्नावली प्रपत्र भरावे।
- चिकित्सा संस्थानों के क्षेत्र में आने वाले बहुमंजिला ईमारते, सोसायटी, हॉस्टल, कॉलेज, स्कूल, सरकारी कार्यालय, निर्माणाधीन क्षेत्र आदि में डेंगू रोग से बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ एन्टीलार्वल गतिविधिया संपन्न करावे।
- निजी चिकित्सालय / निजी चिकित्सकों डेंगू के उपचार व नोटिफाईबल अधिनियम की पालना।
- आशा व एएनएम अपने अपने क्षेत्रों में एन्टीलार्वल गतिविधिया (प्रपत्र 2A) के साथ साथ आमजन को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण हेतु जागरूक करें।
- आमजन को कार्याशाला, प्रश्नोत्तरी, व अन्य माध्यम (पम्पलेट, पोस्टर, माईकिंग, फ्लेक्स, बैनर) व अन्य माध्यम द्वारा जागरूक करें।
- हैचरीज/फोगिंग मशीनों को क्रियाशील करते हुये उनका उपयोग करना।

Anti Dengue Month के सफलता पूर्वक संचालन की गुणात्मक एवं संख्यात्मक रिपोर्ट प्रपत्र-7 एवं 7ए में ही प्रतिदिन निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

—Sd—

निदेशक(जन0स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 26/6/19

क्रमांक: एनवीबीडीसीपी / 2019 / 435

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त, उप निदेशक, जोन राजस्थान।
4. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम ई-मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. कार्यालय प्रति।

निदेशक(जन0स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर